>

Title: Need to constitute a committee to ensure compliance of guidelines for issuance of BPL card to eligible persons particularly in Sheohar parliamentary constituency, Bihar.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): देश में गरीब लोगों को सस्ता खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए बीपीएल कार्ड दिया जाता है। जिससे गरीब परिवार अपने परिवार के सदस्यों के लिए सस्ते दर पर राशन लेते हैं। परंतु जो बी.पी.एल. कार्ड के पात्र है उनको बीपीएल कार्ड नहीं मिल पा रहा है और जिनको ए.पी.एल. कार्ड मिलना चाहिए उनको बी.पी.एल. कार्ड मिला हुआ है। मेरे संसदीय क्षेत्र के शिवहर, सीतामढ़ी एवं पूर्वी चम्पारण जिलों में भी इसमें व्यापक अनियमितता पाई गई है। 31 दिसम्बर, 2011 तक कई राज्यों में 221 लाख जाली राशन कार्ड जब्त किए गए। किस प्रक्रिया से यह बी.पी.एल. कार्ड ए.पी.एल. वर्ग के लोगों को मिल जाते है इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। 2006 में केन्द्र सरकार द्वारा इस काम में अनियमितता रोकने के लिए नौ दिशा निर्देश जारी किए गए जिन पर केवल औपचारिक मात्र कार्यवाही हुई है। जहां तक बी.पी.एल. कार्ड के दुरूपयोग की बात है तो गरीब आदमी शिकायत नहीं कर पाता है उसकी कई मजबूरी होती है। फिर भी हर साल इसकी हजारों शिकायतें मिलती है जिस पर क्या कार्यवाही होती है उसके बारे में केन्द्र सरकार को बताना चाहिए। बी.पी.एल. कार्ड केवल पात्र लोगों को मिले एवं इसका दुरूपयोग करने वालों पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए।

सरकार से अनुरोध है कि बी.पी.एल. कार्ड के नियमों के सख्ती से पालन हेतु एक विशेषज्ञ टीम बनायी जाए जोकि इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करें।